अशौच और उसके संकर(मिश्रण) में शुद्धि निर्णय

जन्म और मरण के अशौच का साधारण विचार किया जा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि दो तीन आशौच एक साथ या आगे पीछे पड़ जाते है। उनके विषय में मनु जी का स्थूल और साधारण सिद्धांत यही बताया गया है कि पहले आशौच के दस दिन के भीतर यदि दूसरा आशौच हो जाये तो पहले ही से दूसरे की निवृत्ति हो जाती है। तथापि उसके विषय में थोड़ा सा सूक्ष्म विचार भी कर लेना आवश्यक है। साधारणतया यही नियम है कि ब्राह्मण के सपिण्ड को दस दिन का और सो (समानो) दक को तीन दिन का आशौच होता है। जैसा मनु ने ५ वें अध्याय में लिखा है-

'दशाहं शावमाशौचं सपिण्डेषु विधीयते ।५ ९

त्र्यहादुदकदायिनः ।५४।

आदि शंकर वैदिक विद्या संस्थान

दूरभाष:9044016661

जन्मन्येकोदकानांतु त्रिरात्राच्छुद्धिरिष्यते। ७१।'

जन्म या मरण से सातवीं पीढ़ी तक पिता के वंश में और माता के कुल में पांचवी पीढ़ी तक को सपिंड कहते हैं और उसके बाद तो जहांतक कुल के किसी पुरुष के जन्म और नाम का ज्ञान हो वहां तक पिता पक्ष में सोदक कहलाते हैं। जैसा याज्ञवल्क्य और मनु ने कहा है

पश्चमात्सतमादूर्ध्वम् मातृतः पितृतस्तथा ॥ या ०५३ ॥

समानोवकमावस्तुजन्मनाम्नोरवेदने । म ० ५/६० ॥

- परन्तु यदि पुत्र व पुत्री नामकरण से प्रथम ही मरजावे तो स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है।
- उसके बाद और दाँत निकलने से पहले ही मरने पर यदि दाह करे तो एक दिन में और यदि न करे तो स्नान मात्र से शुद्ध होती है।
- दाँत निकलने पर प्रथम वर्ष में ही मुण्डन से प्रथम ही मरने पर एक दिन में अशौच मुक्ति होती है

आदि शंकर वैदिक विद्या संस्थान

दूरभाष:9044016661

- उसके बाद मुण्डन हो जाने पर तीन वर्ष पर्यन्त तीन दिन में पुत्र का
- कन्या का तो वाग्दान से पहले मुण्डन न होने तक स्नान मात्र से
- कन्या का मुंडन हो चुकने पर एक दिन में आशौच निवृत्त हो जाता है।
- पर, कन्या के विषय में सपिंडता वाग्दान से प्रथम तीन ही पुरुष तक मानी जाती है।
- यदि पुत्र का मुंडन तीन वर्ष तक भी न हुआ हो तो एक ही दिन का आशौच होता है।
- तीन वर्ष के बाद तो मुंडन न होने पर भी उपनयन पर्यन्त अथवा ८ वर्ष तक तीन दिन का आशौच होता है ।
- पुत्र का उपनयन के बाद दस दिन का अशौच होता है।

आदि शंकर वैदिक विद्या संस्थान

दूरभाष:9044016661

- वाग्दान (तिलक) के बाद और विवाह से पहले कन्या का आशौच पिता और पति दोनों कुल में तीन दिन का लगता है।
- कन्या का विवाह हो जाने पर सिर्फ पति कुल को ही दस दिन का आशौच का होता है।
- दाँत निकलने के बाद और तीन वर्ष से पहले मरने पर दाह और पिंडदानादि करना न करना अपनी इच्छा पर है। पर, बाद को तो करना ही होगा।
- दो वर्ष से कम अवस्थावाले का दाह न कर शुद्ध भूमि में गाड़ देना चाहिये। पर गंगा जल में निक्षेप करने के लिये कोई रोक टोक नहीं है। जिसे चाहें प्रवाहित कर सकते हैं।

सभी आशौच ज्ञान होने पर ही होते हैं। अज्ञात होने पर नहीं। यही मनु, याज्ञवल्क्य और मिताक्षरा आदि का निचोड़ है। यथा-

आदन्तजन्मनः सद्य आचूडान्नैशिकी स्मृता।

त्रिरात्रमाव्रतादेशाद्दशरात्रमतःपरम्। या ० प्रा ० २३॥

ऊनद्विवार्षिकं प्रेतं निदध्युर्बान्धवा बहिः।

अलंकृत्य शुचौभूमावस्थिसंचयवादृते ॥६८ ॥

नात्रिवर्षस्य कर्तव्या बांधवैरुदकक्रिया।

जातदन्तस्य वा कुर्युनाम्नि वापि कृतेसति॥ ७०।

स्त्रीणामसंस्कृतानांतु त्र्यहाच्छुद्ध्यन्तिवान्धवाः।

यथोक्तेनैव कल्पेन तुमचन्तितु सनाभयः ॥ म०.७२

प्राङ्नामकरणात्सद्यः शौचन्तदूर्ध्व दन्तजननादग्निसंस्कार क्रियायामेकाहः, इतरथा सद्यःशौचम्। जातदन्तस्य च प्रथमवार्षिकाच्चौलादर्वागेकाहः। प्रथमवर्षावं त्रिवर्ष पर्यन्तं कृतचूडस्यत्र्यहम् इतरस्यत्वेकाहः। वर्षत्रयादूर्ध्वमकृतचूडस्यापित्र्यहम्। उपनयनादूर्ध्व सर्वेषां ब्राह्मणादीनां दशरात्रादिकम्।

अप्रत्तानांतुस्त्रीणां त्रिपुरुषी (सपिण्डता) विज्ञायतइतिवसिष्ठस्मरणादितिमिताक्षराः या ० प्रा ०। २३, २४ ॥

आशौच में एक बात का और भी विचार रहना चाहिये कि वह दो प्रकार का होता है, एक तो स्पर्श की अयोग्यता और दूसरी कर्म की अयोग्यता।

- इनमें मरणाशौच में तो दोनों प्रकार का आशौच साधारणतया माना जाता है।
- जन्म अशौच में माता को तो दोनों प्रकार का होता है।

परन्तु स्नान के बाद पिता स्पर्श योग्य हो जाता है और अन्य सपिण्ड तो सदा ही स्पर्श योग्य होते हैं परन्तु कर्म की योग्यता नहीं रहती है जब तक पूरे दिन न बीत जावें।

मनुजीका यही अभिप्राय नीचे के श्लोक से स्पष्ट है-

सर्वेषां शावमाशौचं मातापित्रोस्तु सूतकम्।

सूतकं मातुरेव स्यादुपस्पृश्य पिता शुधिः ।।५।६२ ॥

- इसलिए जो कोई सपिण्ड विदेश में हो तो दशाह के बाद और एक वर्ष के भीतर जन्म या मरण की खबर मिलने पर तीन दिन तक कर्म का अनधिकारी रहता है। परंतु सवस्त्र स्नान के बाद छूने योग्य हो जाता है।
- यदि एक वर्ष के बाद सूचित होने पर तो मात्र स्नान कर लेने पर पवित्र हो जाता है। जैसा मनु ने कहा है-

अतिक्रान्ते वाहे च त्रिरात्रमशुचिर्भवेत्।

संवत्सरेव्यतीते तु स्पृष्ट्वैवापो विशुद्ध्यति ॥ ७६ ॥

निर्दज्ञातिमरण श्रुत्वा पुत्रस्य जन्म च।

सवासा जलमाप्लुत्य शुद्धो भवति मानवः ।।५।७७।

- गर्भपात हो जाने पर जितने महीने का गर्भ हो उतने दिनों तक स्त्री अपवित्र रहती है।
- किसी का मत है कि तीन महीने के गर्भ से छठे मास तक के ही लिये।
- इसके बाद तो पूरा आशौच लगता है।
- रजस्वला स्त्री तीन दिन तक अपवित्र रहती है। और चौथे दिन स्नान करने पर शुद्ध होती है। जैसा मनु ने कहा है

रात्रिभिर्मासतुल्याभिः गर्भपाते विशुध्यति।

रजस्युपरते साध्वी स्नानेन स्त्री रजस्वला ॥५॥६॥

अशौच संकर

समान, असमान, सजातीय विजातीय इस तरह आशौच चार प्रकार का होता है।

इनमें से दो से अधिक यदि एक साथ या आगे पीछे प्रथम की निवृत्ति के पहले ही पड़ जावें तो उसे आशौचसंकर कहते हैं।

- जिन आशौचों की दिन संख्या बराबर होवे वे **समान** होती है।
- जिनकी बराबर न होवे वे **असमान** हैं।
- इसी तरह जन्म सम्बन्धी सभी आशौच परस्पर **सजातीय हैं** और मरण सम्बन्धी भी।
- परन्तु मरण और जन्म एक दूसरे के **विजातीय** हैं।
- **सजातीय आशौच** का यह नियम है कि यदि अधिक दिन वाले के भीतर उसका सजातीय कम दिन वाला या बराबर वाला आशौच हो जावे तो पहले से ही दूसरे की भी निवृत्ति हो जाती है।
- यदि अधिक दिन वाला कम दिन वाले सजातीय के भीतर आ पड़े तो अधिक दिन वाले से ही कम दिन वाला निवृत्त होता है। जैसा याज्ञवल्क्य और

उसकी मिताक्षरा में उशना का वचन है कि

अन्तरा जन्ममरणे शेषाहोभिर्विशुध्यति। प्रा ०२० ॥

स्वल्पाशीचस्य मध्येतु दीर्घाशौचं भवेद्यदि

नपूर्वेणविशुद्धिः स्यात्स्कालेनैव शुध्यति ॥ ज ० ॥

- **विजातीय** का यह नियम है कि चाहे मरण में जन्म हो या जन्म में मरण पर मरणाशौच की निवृत्ति से ही जननाशौच की भी. निवृत्ति होती है। फिर चाहे मरण समान हो या असमान। जैसा अंगिरा का वचन है कि

सूतके मृतकं चेत्स्यान्मृतकत्वथ सूतकम्।

तत्राधिकृत्य मृतकं शौचं कुर्यान्न सूतकम् ।।

परन्तु माता, पिता के मरण के संकर में मिताक्षराकार ने लिखा है कि **यदि माता के मरने पर**

बीच में ही पिता मर जावे तो पिता के आशौच की निवृत्ति से माता के भी आशौच की शुद्धि होती है। और यदि पिता के बाद माता की मृत्यु हो तो पिता के आशौच के बाद दो दिन और उनके बीच की रात बिताकर शुद्ध होता है। जैसा

मातर्यग्रे प्रमीतायाशुद्धौ म्रियते पिता।

पितुः शेषण शुचिः स्यान्मातुः कुर्यात्तु पक्षिणीम्।

पूर्व प्रदर्शित याज्ञवल्क्य के वचनानुसार और मनु ने भी लिखा है कि दस दिन भीतर यदि फिर दूसरा जन्म या मरण हो जावे तो तभी तक आशौच रहता है जब तक दस दिन पूरा नहीं होता। यथा-

अन्तर्दशाहे स्याता चेत्पुनर्मरणजन्मनी।

तावत्यावशुचिर्विप्रो यावत्स्यात्तदनिर्दशम् ॥५॥७ ॥

तथापि यही सिद्धान्त किया गया है कि दस दिन के भीतर का अर्थ है नौवें दिन और रात के तीन पहर तक। इसलिए यदि उस समय तक कोई दूसरा

आशौच आ जावे तो पूर्व से ही वह निवृत्त हो जावेगा। जैसा बौधायन ने प्रथम प्रश्न के पाँचवें अध्याय में कहा

अथ यदि दशरात्रमाशौचमानवमाद्दिवसात् -।१२४।

परन्तु उसके बाद दसवें दिन की शाम तक दूसरे आशौच के हो जाने पर पहले के पूरा होने के दो दिन बाद शुद्धि होती है और शाम के बाद एक पहर रात रहे तक होने पर तीन दिन और बिताना पड़ता है। रात्रि का संस्कृत नाम त्रियामा है, जिससे तीन ही पहर की रात मानते हैं और शेष पहर प्रातः काल कहलाता है। यह बात गौतम, वसिष्ठ, शातातप स्मृतियों में लिखी है। जैसा

रात्रिशेषे सतिद्वाभ्यांप्रभाते सति तिसृभिः।व० ४।२३।

रात्रिशे षे द्वयच्छुहाद्धिर्यामशेमेसुचिस्त्र्याहात्। शातातप

आशौच के अन्तिम या दसवें दिन गाँव से बाहर स्नान करना, कपड़ा बदलना. दाढ़ी मूंछ आदि बनवाना और नख शिख कटवाना चाहिए, न कि उसके बाद या पहले जैसा

दशमेऽहनि संप्राप्तेस्नानं ग्रामात् बहिर्भवेत्।

तत्रत्याज्यानिवासांसि केशश्श्रुनखानि च ।। देवल ॥

आदि शंकर वैदिक विद्या संस्थान

दूरभाष:9044016661